



उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
संख्या-1/2026/बी-4-417/दस-2026
लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2026

विषय: राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि/जमा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर का निर्धारण।

लेखाशीर्ष “8336-सिविल जमा-103-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा” तथा लेखाशीर्ष “8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि” हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 3.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज का आगणन वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-1/2026/बी-4-417(1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।